निर्णय

दिनांक :– 8/06/2016

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि वकील वादी ने वाद धारा 183,188,209 आर.टी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम गंठेडी तह0 भदेसर के खाता सं0 65 आ0न0 19/3 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा लगानी 6.35 रू0 स्थित है। जिसके नये खाता सं 60 आ न 110 रकबा 1.29 लगान 18.06रू बने है साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश कि है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि भूमि होकर वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। तथा वादीगण वादग्रस्त भूमि पर शांति पुर्ण बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात के पास ही प्रतिवादी कि आराजीयात लिखी हुयी है। तथा प्रतिवादी का वादीगण की खातेदारी आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बंध सरोकार नही है। फिर भी वे जबरन धीरे धीरे वादीगण कि आराजीयात के रकबे को दबाते चले आ रहे है। तथा वादीगण के विरोध करने पर मानने को तैयार नही होते है। तथा झगडा करने पर आमदा है। जिस पर वादीगण द्वारा माननीया न्यायालय से दिनांक 22/04/2013 को पत्थर गढी किये जाने के आदेश प्राप्त कर प0ह0 मय गिरधावर को मोके पर दिनांक 09/05/2013 को [illegible] विधिवत तोर से आराजीयात कि नपती पिन पोइन्ट से कि गयी तो तय पाया [illegible] कि खातेदार में दर्ज रकबा 5 बीघा 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

असल से मिलान किया
सही पाया गया

बिस्वा के बजाय मोके पर वादीगण के कब्जे में 3 बीघा 4 बिस्वा जमीन पाई गयी। शेष भूमि 2 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी ने अवेध अतिक्रमण कर वादीगण कि जमीन को अपने आराजीयात में मिला दीया है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण कि खातेदारी आराजी रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने एवं अवेध अतिचार हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इनकार हो गया। तथा धमकीया देने लगे। कि कब्जा नही हटायेगे। तुम्हारे मे दम हो जो कर लेना। वादीगण ने अपने स्तर पर अवेध अतिचार हटाने हेतु काफि प्रयास किया। प्रतिवादीगण किसी भी सुरत में मानने को तेयार नही है। अतः प्रतिवादीगण से वादीगण कि 2 बीघा 15 बिस्वा पर से अवेध कब्जा हटा प्रार्थी को दिलाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। कि वो आराजीयात का कब्जा न किसी को अन्तरित नही करे न करावे।

वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादीगण पडोसी होकर लम्बे समय से वादी के कब्जे काश्त कि आराजीयात पर दखल अदांजी कर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते व सीमा को लेकर विवाद करते एवं वादी के द्वारा समजाने पर भी प्रतिवादी अपनी सीमा बता रहे है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में प्रतिवादी इस बात को मानने को तैयार नही होकर हमेशा जबरदस्ती लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। जिससे परेशान होकर वादी ने दिनांक 25/05/2015 को वादग्रस्त आराजीयात कि पत्थर गढी करवाने का आदेश प्राप्त किया । जिस पर दिनांक 16/06/2014 को पटवारी सा0 व गिरदावर सा0 मोके पर दोनो पक्षो को सुचना देकर आये एवं नाप चोप किया था। वादी कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात कि विधिवत नपती कर। मोके पर मोका पर्चा तैयारी किया गया है। जिस पर प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। क्योकि प्रतिवादीगण वादी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने कि नीयत रखते है। गिरदावर सा0 द्वारा दोनो पक्षो को पाबंद किया गया कि मोके पर रोपे गये पत्थरो को खुर्द बुर्द नही करे। इस प्रकार वादी को उसी समय मोके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से बिना किसी रोक टोक के वादी काबिज रहा है। दिनांक 25/06/2014 को प्रतिवादीगणो ने वादी के साथ गाली गलोच कर मारपीट करने पर उतारू होकर। मोके पर रोपे गये पत्थरो को उखाड कर फेक दिया। दिनांक 10/07/2014 को प्रतिवादीगणो द्वारा उखाडे गये पत्थरो व पेडो को काटने कि रिपोर्ट थाना भदेसर में पेश कि है। वादी कि कब्जे काश्त आराजीयात पर जो पत्थर गढी कि गयी थी। उस पर प्रतिवादीगण दखल अंदाजी कर जबरन अवैध तरीके से कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। कि वादी कि खातेदारी कि आराजी खाता सं0 60 आ0न0 110, कुल रकबा 1.29 हे0 भूमि के उतरी मेड के पास पास प्रतिवादीगण द्वारा करीब 0.59है जबरन कब्जा करने उतारू है। जिनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे। कि वादी कि आराजी प जबरन कब्जा न करे न अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब [illegible] लोक अदालत न्या आपके द्वार कैम्प आक्या पर उपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर[illegible] किये गये। ताकि प्रकर को आपसी राजीनामा अनुसार निरस्तारण किया जावे वादी एवं प्रतिवादीगण नोटिस तामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

अनुपस्थित। पत्रापवली मे सलंग्न गिरदावर कि मोका फर्द के अनुसार प्रतिवादीगण का
की वाद पत्र में वर्णित सहः खातेदारी भूमि पर कब्जा नही है। तथा वादी ने भी वाद पत्र
र्णित सहः खातेदारी भूमि पर वादीगण द्वारा भविष्य में जबरन कब्जा करने कि आंशका
कि है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाते है। कि वादी
ादग्रस्त भूमि पर कोई दखल अंदाजी नही करे न ही अन्य से करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारन को सुना गया। वादी
प्रस्तुत पर्चा मोका दिनांक 9/05/2013 से साबित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी कि असल
पर जबरन कब्जा करना साबित होता है। अतः वाद वादी साबित होने से डिकी किया सही प्र
है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाते है। कि वादी कि
ग्रस्त आराजीयात भूमि ग्राम शहीद राजेन्द्र सिंह नगर प0ह0 राजेन्द्र सिंह नगर तह0
के खाता खाता सं0 60 आ0न0 110, कुल रकबा 1.29 हे0 भूमि के उतरी मेड के पास
प्रतिवादीगण द्वारा करीब 0.59है पर जबरन कब्जा न स्वयं करे न अन्य से करावे। तथा
की खातेदारी की भूमि पर अवैध कब्जा हटाया जावे। डिकी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा
अपना-अपना वहन करे। पत्रावली बाद तामिल तक मिली कार्यवाही के फेसल सुमार

निर्णय आज दिनांक 8/06/2016 को मजमे आम में गुणावगुण के आधार पर
तहरीर करा कर सुनाया गया।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

फोटो प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested